कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश.

कमांक/3175/तकनीकी/2011 भोपाल, दिनांकः 15/12/2011

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक,
समस्त जिला पंजीयक,
समस्त उप पंजीयक,
मध्यप्रदेश ।

विषयः— भूमि विकास एवं भवन निर्माण अनुबंध—पत्र के स्थान पर पॉवर ऑफ अटार्नी के उपयोग द्वारा स्टाम्प शुल्क अपवचंन को रोकने बाबत् ।

———————

राज्य शासन द्वारा भूमि के विकास अनुबंध—पत्र तथा भवन निर्माण के अनुबंध—पत्र पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 5(घ) के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण या विकास के प्राक्कलित व्यय के बराबर बाजार मूल्य पर दिनांक 1.4.2011 से 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभार्य किया गया है ।

2. कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि भूमि विकास या भवन निर्माण के अनुबंध—पत्र के स्थान पर पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से भूमि विकास एवं भवन निर्माण के अधिकार दिए जा रहे हैं, जिससे शासन को राजस्व की महती हानि हो रही है ।

3. इस संबंध में वैधानिक स्थति यह है कि यदि पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से भूमि विकास या भवन निर्माण का अधिकार भू—स्वामी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है, तो इसका स्वरूप भी भूमि विकास/भवन निर्माण अनुबंध—'पत्र का होगा तथा ऐसी पादर आफ अटर्नी पर अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 5

(घ) के अन्तर्गत विकास/निर्माण व्यय की रकम पर 3 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा ।

4. अतः अपने अधीनस्थ कार्यालयों में 1 अप्रैल 2011 को या इसके पश्चात् पंजीबद्ध हुई सभी पावर आफ अटार्नी की जांच कर देखें कि इन पर भूमि विकास/भवन निर्माण अनुबंध–पत्र का शुल्क चुकाया गया है, अथवा नहीं । ऐसे प्रकरणों में जहां उक्तानुसार शुल्क नहीं चुकाया गया है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 48–ख के अधीन प्रकरण दर्ज कर कमी स्टाम्प शुल्क वसूल करने की कार्यवाही करें । साथ ही सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी लिखतों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की सारणी 1–क के अनुच्छेद 5 (घ) के अन्तर्गत शुल्क वसूल किया जाये ।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.